320

428

कोट रीवा जिला रीवा (म0प्र0)

Rs. 301

निगरानी प्रकरण क्रमांक /16

5239-II/16 सूरजपाल तनय शोभनाथ जायसवाल, उम्र 50 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम दरीमाडोल, तह0 कुशमी, जिला सीधी (म0प्र0)

——————आवेदक

बनाम्

1— भाईलाल अहिर तनय वैजनाथ अहिर, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम दरीमाडोल, तह0 कुशमी, जिला सीधी म0प्र0

2— म0प्र0 राज्य

——————**अनावेदकगण**

श्री शिवप्रसाद द्विवेदी 27-5-16

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश कलेक्टर सीधी दिनांक 28.03.2016 जो प्रकरण क्रमांक 19अ–74/14–15 में पारित

मान्यवर

पुनरीक्षण से संबंधित तथ्य :–

1— अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 28.03.2016 सर्वथा विधि विधान तथा न्यायिक प्रक्रिया व सिद्धान्तो के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है।

2— कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में निगरानीकर्ता ने स्पष्ट रूप से वर्णित किया था कि आवेदक के पिता शोभनाथ जायसवाल का आराजी नं0 24 रकवा 0.06हे. एवं 328 रकवा 0.16हे. योग 0.22हे पर पुराना देरीना मालिकाना कब्जा होने के कारण विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के अंतर्गत विहित प्रारूप में न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय तह0 कुंशमी जिला सीधी के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 25/अ–19(4)/1998–99 दिनांक 12.04.1999 के अनुसार व्यवस्था पट्टा मंजूर किया गया तथा 0.50पैसे उसका लगान निर्धारित किया गया इस तरह निरंतर 40–50 सालो से

XXXIX(a)-BR(H)-11

320

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–5239-II / 16** जिला–सीधी

सूरजपाल जायसवाल / भाईलाल अहिर

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री शिव प्रसाद द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 19 / अ–74 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 28.03.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 17.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	